राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1893/2024

विमला देवी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, बीकानेर।
3. निदेशक, विकलांग व्यक्ति, G3/1 अम्बेडकर भवन, रेजीडेंसी एरिया, जयपुर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.05.2024

आदेश की दिनांक : 06.06.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री देवेन्द्र सोलंकी, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 2005 में अध्यापक ग्रेड प्रथम के पद पर हुई थी और जबसे अपीलार्थी निरंतर संतोषजनक सेवायें दे रही है। अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 04.10.2023 के क्रम में अपनी परेशानियों को व्यक्त करते हुये अभ्यावेदन विभाग को प्रस्तुत किया।

अपीलार्थी दिव्यांग है और अपीलार्थी जिस पद पर सेवायें दे रहा है, वह पद उसके नजदीक वीरचक्र सूबेदार सावलराम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राणासर पंचायत समिति नवलगढ़, जिला झुंझुनू में रिक्त है। यदि प्रत्यर्थी विभाग चाहे तो उसे रिक्त पद पर पदस्थापित कर सकता है। परंतु विभाग द्वारा अपीलार्थी के संबंध में कोई विचार नहीं किया गया। जबकि अपीलार्थी दिव्यांग कार्मिक है। जबकि राज्य सरकार के जन कल्याण एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 के अंतर्गत तथा राज्य सरकार के परिपत्रों में ऐसे कार्मिकों को प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान किया गया है। माननीय अधिकरण द्वारा भी ऐसे कार्मिकों के मामलों में उनके पक्ष में आदेश पारित किये हैं।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को वीरचक्र सूबेदार सावलराम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राणासर पंचायत समिति नवलगढ़, जिला झुंझुनू में पदस्थापित किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 2005 में अध्यापक ग्रेड प्रथम के पद पर हुई थी और जबसे अपीलार्थी निरंतर संतोषजनक सेवायें दे रही है। अपीलार्थी दिव्यांग कार्मिक है और प्रकरण के वर्तमान परिस्थितियों एवं अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी तीन सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग

के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य